

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, अम्बेडकर भवन, राजमहल रेजीडेंसी क्षेत्र, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक : एफ 7(2)0रा.छा./सान्याअवि/2020/3620-60

जयपुर, दिनांक: 21-12-2020

उप निदेशक/सहायक निदेशक
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग,
..... (समस्त)।

विषय:-अंशकालीन/जॉब बेस पर कार्यरत श्रमिकों (रसोईया/चौकीदार) की सेवायें लिये जाने एवं भुगतान के संबंध में।

संदर्भ:-विभागीय पत्र क्रमांक 2501-40 दिनांक 21.10.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा विभाग द्वारा संचालित जिन राजकीय छात्रावासों में रसोईया/चौकीदार पदस्थापित नहीं हैं, उन राजकीय छात्रावासों में प्लेसमेंट ऐजेंसी के माध्यम से रसोईया/चौकीदार की सेवायें लेने एवं भुगतान करने के संबंध में समस्त जिलाधिकारियों को बिन्दु संख्या 01 से 06 के अन्तर्गत प्लेसमेंट ऐजेंसी के माध्यम से जॉब बेस श्रमिकों की सेवायें लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया था।
जारी संदर्भित पत्र के बिन्दु संख्या 02 में वर्णित शर्त को विलोपित किया जाता है।

(ओ.पी.बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

जयपुर, दिनांक: 21.12.2020

क्रमांक : एफ 7(2)0रा.छा./सान्याअवि/2020/3661-75

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(सर्तकता एवं प्रशासन, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, वित्तिय सलाहकार, मुख्यावास।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास/देवनारायण/राईस), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक(एनालिस्ट सिस्टम), मुख्यावास को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

(अनुपम कायल)

अतिरिक्त निदेशक(छात्रवृत्ति एवं छात्रावास)